राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

पत्रांकःएफ.8(1)आ.प्र.एवंसहा/बाढ़/2014/ 7191 जयपुर,दिनांक 10.7.14.

समस्त जिला कलेक्टर,
राजस्थान।

विषय :– मानसून के कारण क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों जैसे सड़कों, बांध, नहरों, मकानों आदि की तात्कालिक मरम्मत के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य में मानसून के दौरान अनेक स्थानों पर समय समय पर अत्यधिक वर्षा से जलप्लावन/जलभराव होने पर बाढ़ जैसी स्थिति होने के कारण सार्वजनिक परिसम्पत्तियों (जैसे सड़क, पुल, नहर, बांध, मकान आदि) क्षतिग्रस्त होने के सम्भावना रहती है। इन परिसम्पत्तियों का अस्थाई पुनर्स्थापन राज्य आपदा मोचन निधि से किया जा सकता है, इसकी भलिभॉति जानकारी आपको पूर्व से ही है।

मानसून के दौरान क्षतिग्रस्त हुई परिसम्पत्तियों के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि एक दिन में अत्यधिक वर्षा (90 एम.एम से अधिक) अथवा लगातार दो दिवसों में (100 एम.एम) से अधिक वर्षा होने पर क्षतिग्रस्त हुई परिसम्पत्तियों की आपदा मोचन निधि के मापदण्डानुसार अस्थाई मरम्मत/पुनर्स्थापना हेतु प्रस्ताव इस विभाग को भिजवाये जाने पर ही बजट आवंटन संबंधी कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय

शासन सचिव